राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांकः–एफ5/मु./याता./सामा./11/133 दिनांकः–24.06.11

कार्यालय आदेश

निगम की राजस्व वृद्धि एवं खर्चो में कमी के उद्देश्य से निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर निगम कार्य के प्रति समर्पण भावना से कार्य करने के लिए माह जुलाई 2011 से सितम्बर 2011 तक 3 माह के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है जो निम्नानुसार है :–

KMPL के सम्बन्ध में प्रोत्साहन योजना (मासिक) :–

1– लक्ष्य से अधिक KMPL किन्तु कम से कम 5.30 KMPL लाने वाले चालकों ही प्रोत्साहन योजना हेतु योग्य माना जावेगा।

2– आगार स्तर पर मुख्य प्रबन्धक/ प्रबन्धक (संचालन) / प्रबन्धक (लेखा) /डीजल प्रभारी की कमेटी द्वारा प्रत्येक बस के KMPL का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा ।

3– गत 3 माह में वाहन द्वारा दिए गए सर्वोच्च KMPL से कम KMPL का लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा।

4– आगार के विभिन्न वाहनों का लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात आगार का निर्धारित लक्ष्य मुख्यालय द्वारा आंवटित लक्ष्य से कम नहीं होना चाहिए तथा गठित कमेटी का यह दायित्व होगा कि वाहनों के KMPL निर्धारण में पूरी पारदर्शिता रखी जावे तथा इसमें किसी प्रकार की सन्देहात्मक स्थिति नहीं हो। साथ ही KMPL के निर्धारण हेतु तैयार किये जाने वाले विवरण का समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा।

5– प्रोत्साहन हेतु लक्ष्य अर्जित करने पर निम्नानुसार राशि देय होगीः–

5.3 से अधिक	500/– रुपये
5.5 से अधिक	600/–रुपये
5.7 से अधिक	700/–रुपये
6.00 से अधिक	800/–रुपये

6– प्रत्येक माह प्रत्येक जोन में Best KMPL अर्जित करने वाले एक चालक को प्रोत्साहन के रुप में 2000/–रुपये देय होंगे।

7– आगार द्वारा निर्धारित लक्ष्य KMPL प्राप्त करने पर त्रैमासिक आधार पर निम्न को भी प्रोत्साहन राशि देय होगी।

(i) प्रबन्धक(संचालन) राशि 5000/–रुपये
(jj) डीजल प्रभारी राशि 3000/–रुपये
(iii) डीजल शाखा में कार्यरत 3 कर्मचारियों को राशि 500/–रु. (प्रत्येक कर्मचारी)

इसके अतिरिक्त गत तीन वर्ष में दुर्घटना रहित वाहन संचालन पर प्रत्येक चालक को राशि 500/–रुपये प्रति माह प्रोत्साहन के रुप में दी जावेगी ।

EPKM के सम्बन्ध में मासिक प्रोत्साहन योजना :–

1– लक्ष्य से अधिक EPKM अर्जित करने पर अधिक अर्जित राशि का 20 प्रतिशत (चालक 5 प्रतिशत , परिचालक 15 प्रतिशत) प्रोत्साहन के रुप में दिया जावेगा।

2– आगार स्तर पर मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (याता) / प्रबन्धक (संचालन) /प्रबन्धक (लेखा) की कमेटी द्वारा आगार के प्रत्येक शिड्यूल का EPKM का लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा

3– लक्ष्य निर्धारण हेतु प्रोत्साहन योजना अवधि में यदि किराया बढाया जाता है तो लक्ष्य निर्धारण किराये के प्रभाव के अनुरुप परिवर्तन किया जावे ।

4– प्रत्येक सेवा के लक्ष्य निर्धारण के पश्चात गणना उपरान्त आगार का लक्ष्य EPKM मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के EPKM से कम नहीं होना चाहिए।

5– गत 3 माह में प्राप्त सर्वोच्च EPKM में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि जोड़कर लक्ष्य निर्धारण किया जावे।

बुकिंग–खिड़की से प्राप्त राजस्व में बढोत्तरी हेतु प्रोत्साहन योजना :–

1– बुकिंग क्लर्को के पारी वार लक्ष्य का निर्धारण माह अप्रैल 2011, मई 2011 , जून 2011 में अर्जित आय के औसत के आधार पर आगारीय कमेटी द्वारा किया जावेगा।

2— बुकिंग क्लर्क द्वारा लक्ष्य प्राप्ति करने पर उसे 2000/—रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

3— बुकिंग क्लर्क द्वारा लक्ष्य से 5 प्रतिशत से अधिक एवं 10 प्रतिशत तक आय प्राप्त करने पर 1000/—रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी कुल 3000/—रुपये प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

4— बुकिंग क्लर्क द्वारा लक्ष्य से 10 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत तक राजस्व राशि अर्जित करने पर 1000/—रुपये और अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी 4000/—रुपये प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

5— बुकिंग क्लर्क द्वारा लक्ष्य से 15 प्रतिशत से अधिक राजस्व राशि अर्जित करने पर 1000/—रुपये और अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी 5000/—रुपये प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

6— इसी के अनुरुप मोबाईल बुकिंग के लक्ष्य भी आगार कमैटी द्वारा निर्धारित किये जावेंगे एवं उन्हें उक्तानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

उक्त प्रोत्साहन योजना में उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जावेगा जो माह में 24 कार्य दिवस अपने निर्धारित कार्य को सम्पादित करेंगे एवं कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जावेगा।

मुख्यालय द्वारा दिये गये Target के Best Target Achivement / Performance देने वाले प्रथम तीन आगारों को निम्नानुसार त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि वितरित की जावेगी :—

	मुख्य प्रबन्धक	प्रबन्धक (यातायात)	प्रबन्धक (संचालन)
प्रथम	10,000/—रुपये	5,000/—रुपये	5,000/—रुपये
द्वितीय	8,000/—रुपये	4,000/—रुपये	4,000/—रुपये
तृतीय	5,000/—रुपये	3,000/—रुपये	3,000/—रुपये

जोन के Best Performance देने पर सम्बन्धित जोनल मैनेजर को 10,000/—रुपये प्रोत्साहन के रुप में दिये जायेंगे (त्रैमासिक)

प्रोत्साहन योजना की अवधि में यदि किराया बढ़ाया जाता है तो लक्ष्य के निर्धारण में किराये के प्रभाव के अनुरुप परिवर्तन किया जावेगा।

सभी जोनल मैनेजर अपने अधिनस्थ आगारों के मुख्य प्रबन्धकों से चर्चा कर उक्त योजनाओं का मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर प्रोत्साहन राशि का बजट आवंटन करवाकर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रोत्साहन योजना अवधि के पश्चात समीक्षा करते हुए योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन / अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

प्रत्येक जिला स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत वाहन संचालन पर रोक एवं निगम हित में दिए गए अन्य सहयोग को उपयोगी पाये जाने पर प्रशासन/पुलिस विभाग को 10,000—10,000 /—रुपये प्रोत्साहन के रुप में सम्बन्धित को वितरित करने हेतु जिलाधीश/पुलिस अधीक्षक को दिये जाने के लिये यातायात विभाग मुख्यालय द्वारा निम्नहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः—एफ5/मु./याता./सामा./11/133 दिनांकः—24.06.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय,रारापपनिगम, जयपुर।

2— समस्त विभागाध्यक्ष रारापपनिगम, जयपुर।

3— महा प्रबन्धक (यातायात) रारापपनिगम, जयपुर।

4— उप महा प्रबन्धक (वित्त/बजट/संकलन/सॉख्यिकी) रारापपनिगम,जयपुर।

5— जोनल मैनेजर, रारापपनिगम ———————— जोन।

6— मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक(वित्त) रारापपनिगम ——————— आगार।

7— आदेश पत्रावली।

सचिव